


**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राशमी**(पीठासीन अधिकारी कैम्प कॉर्ट) कैम्प :- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र **बाबूबास**प्रशासन गांवों के संग  
अभियान-2021

--: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" के आवेदन पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का ...**रा.रा.रा.रा.**....., भू अ0नि0 वृत्त **रा.रा.**..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की राजस्व अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मौजा .....**रा.रा.रा.रा.**... तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत**2020**..... के खाता संख्या **443**..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते है :-

प्र0सं0 :- **686/2021**

क्र. सं.	मौजा	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
	<b>खानास</b>	<b>443</b>	<b>रा.रा.रा.रा.</b> <b>जी.रा.</b>	<b>रा.रा.रा.रा.</b> <b>जी.रा.</b>

**रा.रा.**  
सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
राशमी

क्रमांक: सशिता/5-11(686)2021 दिनांक :- **24/11/2021**.....

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री **रा.रा.रा.रा.**.....को सूचनार्थ।

**रा.रा.**  
सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
राशमी